फर्द अहकाम
नेपाल बनाम अरविन्द व अन्य

दावा संख्या: 18 /2025

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24.01.2025	वकील वादी ने दावा बाबत, स्थाई निषेधाज्ञा एवं सीमाज्ञान व पत्थरगढी का पेश किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर दिनांक 20.02.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस जारी 772-794 6/2/25
	20/2/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अ[illegible] [illegible]रत है। अतः पत्रा[illegible] [illegible]ांक 06/03/25 को पेश हों। वकील वादी उप०। वादी की ओर Adv खेमचन्द सैनी वकालतनामा प्रतिवादी संख्या 3 लगा० 8, 10 लगा० 12, 15 लगा० 22 की ओर से जवाब दावा पेश किया व रजि० डाक नोटिस की रसीद पेश की शा० मि० हो।	
	28/2/25	प्रार्थी / प्रतिवादीगण का शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पर आज पत्रावली तलब की गई। प्रा०पत्र शीघ्र सुनवाई स्वी० किया। प्रतिवादी वकील ने वादी को जारी नोटिस की रजि०डाक रसीद व साधारण तामील नोटिस पेश किये शा० कि० हो। वकील उभय पक्ष उप०। वकील उभय पक्षकारान की प्रकाश में अन्तिम बहस सुनी गई। वादी का वाद डिक्री किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्या : 18/2025
निर्णय दिनांक : 28.02.2025

नेपाल पुत्र कालूराम, जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. अरविन्द शर्मा पुत्र रूपनारायण
2. कुन्तल भट्ट पुत्री रूपनारायण
3. ज्योत्सना पुत्री रूपनारायण
4. कैलाश पुत्र माधोलाल
5. शंकरलाल पुत्र माधोलाल
6. गोपाल पुत्र माधोलाल
7. प्रकाश पुत्र हरिनारायण
8. प्रभू पुत्र तेजा
9. पारूल पुत्री अजय
10. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ
11. बाबूलाल पुत्र गणेश
12. मुकेश पुत्र गोकुलनारायण
13. मन्जू शर्मा पत्नी अजय
14. रूपल पुत्री अजय
15. रामधन पुत्र जगन्नाथ
16. लक्ष्मीनारायण पुत्र महादेव प्रसाद
17. शैलेन्द्र शर्मा पुत्र सतीश
18. कल्याण प्रसाद पुत्र गणेश
19. हरिनारायण पुत्र गणेश
20. गुलाब नारायण पुत्र महादेव प्रसाद
21. भंवर लाल पुत्र गणेश

    समस्त निवासीगण ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
22. मन्जू शर्मा पत्नी सुरेश, निवासी 178, गुर्जरो का मोहल्ला, सांगानेर, जिला जयपुर।
23. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी व उसके सहखातेदारों की कब्जे काश्त व अधिकार की सहखातेदारी आराजी कृषि भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या नया 70 पुराना 71 में वर्णित खसरा नम्बर 576 रकबा 0.19 हैक्टेयर,

उप–खण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

खसरा नम्बर 579 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 580 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 613 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल रकबा 0.53 हैक्टेयर स्थित ग्राम मुहाना, पटवार हल्का मुहाना, भू.अभि.नि.क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। जो कि राजस्व रिकार्ड में वादी व अन्य सहखातेदारों के नाम से इन्द्राज है तथा वादी के पडौसी खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 3 में वर्णित खसरा नम्बर 1 जो ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है वादी व प्रतिवादीगण की उक्त आराजी को ही वाद पत्र में वादग्रस्त सम्पति से सम्बोधित किया गया है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहा है तथा चारो तरफ तारबन्दी लगा रखी है। वादी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 576, 579, 580, 613 के पडौसी खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 है जो कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 वादी से रंजिश रखते है तथा आये दिन के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करते है तथा वादी द्वारा की गयी तारबन्दी व गडडू को तोडने का प्रयास करते है तथा वादी की भूमि पर सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न कर कब्जा करने की कोशिश करते है। जिसका प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 को कोई अधिकार नही है। दिनांक 20.01.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 वादी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने के आशय से तारबन्दी को तोड दिया और जबरन निर्माण कार्य करने लगे और कहा कि यह भूमि हमारी है जिस पर वादी द्वारा इसका विरोध किया और निवेदन किया कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी कराने के बाद ही निर्माण कार्य करे। इस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 वादी पर आग बबूला हो गये तथा वादी को धमकी दी कि वह वादी की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर उस पर आवासीय कॉलोनी विकसित करके रहेगें। जिसकी शिकायत वादी द्वारा पुलिस थाना में की गयी लेकिन पुलिस वालों द्वारा कोई सुनवाई नही की गयी। इसलिये श्रीमान न्यायालय के समक्ष यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है क्योंकि यदि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 ने वादी के अधिकारों की भूमि पर कब्जा कर निर्माण कर दिया तो वादी हमेशा के लिये अपने अधिकारों से महरूम हो जावेगें पूर्ति किसी भी सूरत में संभव नही होगी। वादी वादग्रस्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाने के अधिकारी है। प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 22 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 22 जब तक वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 576, 579, 580, 613 स्थित ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नही हो जाता तब तक वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे, और ना ही वादी को वेदखल करे, और ना ही उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करे ना ही ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, र्स्वेन्ट इत्यादि से करावे तथा वादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रतिवादी सख्या 23 को आदेशित किया जावे कि वह वर्तमान राजस्व नक्शे के आधार पर ही सीमाज्ञान करवाया जाकर तदनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रतिवादी सख्या 23 को आदेश प्रदान करते हुए उक्त आश्य की तहरीर जारी करने की कृपा करे, मौके पर

उप-खण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

जाकर सीमाज्ञान का पुख्ता पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जावे। वाद कारण दिनांक 20.01.2025 को प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 22 वादी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने के आश्य से तारबन्दी को तोड दिया और कहा कि यह भूमि हमारी है जिस पर वादी द्वारा इसका विरोध किया और निवेदन किया कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने के बाद ही निर्माण कार्य करे। इस पर प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 22 वादी पर आग बबूला हो गये तथा वादी को धमकी दी कि वह वादी की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर उस पर आवासीय कॉलोनी विकसीत करके रहेगे तब से पैदा होकर निरन्तर जारी है। अतः वादी की प्रार्थना है कि प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 22 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 22 जब तक वादग्रस्त भूमि 576, 579, 580, 613 स्थित ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नही हो जाता तब तक वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे, और ना ही वादी को बेदखल करे, और ना ही उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करे ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करावे तथा वादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रतिवादी सख्या 23 को आदेशित किया जावे कि वह वर्तमान राजस्व नक्शे के आधार पर ही सीमाज्ञान करवाया जाकर तदनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रतिवादी संख्या 23 को आदेश प्रदान करते हुए उक्त आशय की तहरीर जारी करने की कृपा करे मौके पर जाकर सीमाज्ञान व पुख्ता पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8, 10 लगायत 12, 15 लगायत 22 की ओर से श्री हिमांशु श्रीमाल एडवोकेट ने वकालतनामा व जवाब दावा इस का आशय का पेश किया कि ग्राम अभयपुरा, पटवार हल्का कपूरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार मिन उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण है जिस पर मिन उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण शान्तिपूर्वक काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है जिसके लिए मिन उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण स्वतन्त्र है। वाद–पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 576, 579, 580, 613 कुल किता 4 रकबा 0.5300 हैक्टेयर वर्णित कथनानुसार सम्मिलित अविभाजित खातेदारी की भूमि है। बिना विभाजन हुए यह विनिश्चय करना मुश्किल है कि खसरा नम्बर 576, 579, 580, 613 किन खातेदारों के अधिकार व आधिपत्य की भूमि है इसलिए वाद–पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में वादी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार तब तक नही है जब तक वें भूमि का विधिवत् विभाजन ना करा लें। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 613 वर्तमान में कृषि भूमि नही है, ना ही उक्त भूमि पर कोई कृषि काश्त है, मौके पर गैर मुमकिन सड़क है और मौके पर डामर की सड़क बनी हुई है, ऐसी स्थिति में उक्त वाद का माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है जो आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत सरसरी तौर खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा वाद क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नही किया है, वादी ने झूंठे कथन के आधार पर मिन उत्तरदातागण/

उप–खण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

प्रतिवादीगण पर अनुचित दबाव बनाकर गैर–कानूनी लाभ प्राप्त करने की गरज से झूंठा वाद प्रस्तुत किया है तथा वादी द्वारा इस स्थगन की आड में मिन उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण को नाजायज हैरान व परेशान करना चाहता है। अतः वादौत्तर प्रस्तुत कर निवेदन है वाद वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। दिनांक 28.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8, 10 लगायत 12, 15 लगायत 22 की ओर शीघ्र सुनवाई पेश होने पर पत्रावली तलब की गई तथा वादी को जारी नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ।

चूंकि प्रकरण स्थायी निषेधाज्ञा का है और उभयपक्षों के मध्य सीमा विवाद से सम्बन्धित है, ऐसी स्थिति में उभयपक्षकारान की बहस सूनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 22 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 22 जब तक वादग्रस्त भूमि 576, 579, 580, 613 स्थित ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नही हो जाता तब तक वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे, और ना ही वादी को बेदखल करे, और ना ही उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करे ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करावे तथा वादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रतिवादी सख्या 23 को आदेशित किया जावे कि वह वर्तमान राजस्व नक्शे के आधार पर ही सीमाज्ञान करवाया जाकर तदनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रतिवादी संख्या 23 को आदेश प्रदान करते हुए उक्त आशय की तहरीर जारी करने की कृपा करे मौके पर जाकर सीमाज्ञान व पुख्ता पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जावे। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम अभयपुरा, पटवार हल्का कपूरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार मिन उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण है जिस पर मिन उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण शान्तिपूर्वक काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है जिसके लिए मिन उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण स्वतन्त्र है। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 613 वर्तमान में कृषि भूमि नही है, ना ही उक्त भूमि पर कोई कृषि काश्त है, मौके पर गैर मुमकिन सड़क है और मौके पर डामर की सड़क बनी हुई है। वादी का वाद खारिज किया जावें।

बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अवलोकन किये जाने से ज्ञात हुआ कि ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 613 रकबा 0.10 है0 व ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 0.54 है0 ही उक्त प्रकरण में विवादित है। खसरा नम्बर 613 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार वादी व अन्य सहखातेदारान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 613 की किस्म राजस्व जमावन्दी में गैर–मुमकिन सड़क दर्ज है और वादी द्वारा प्रस्तुत फोटाग्राफस् में भी मौके पर डामर की सड़क होना साबित है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मौके पर खसरा नम्बर 613 मे सड़क बनी हुई है जो मौके पर मुख्य मार्ग के रूप में काम ली जा रही है। खसरा

उपखण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

नम्बर 613 की खातेदारी वादी व अन्य सहखातेदारान की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही होना स्पष्ट है तथा खसरा नम्बर 1 की खातेदारी प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादी का कोई सम्बन्ध नही होना जाहिर होता है, वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित शेष खसरा नम्बर 576, 579, 580 प्रतिवादीगण की भूमि से दूर स्थित है जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण का कोई विवाद नही होना भी स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार दखलन्दाजी करने का कोई हक व अधिकार नही है, ना ही वादी को प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने का कोई हक व अधिकार है, ऐसी स्थिति में वादी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के किसी हिस्से पर जब तक सीमाज्ञान नही हो जाता तब तक उभयपक्षकारान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जाता है कि ग्राम मुहाना, पटवार हल्का मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 613 रकबा 0.10 है0 में मौके पर बनी सड़क पर उभयपक्षकारान किसी प्रकार का कोई कब्जा नही करे, ना ही खसरा नम्बर 613 पर कोई अतिक्रमण करे एवं उभयपक्षकारान आने–जाने में आमजन को किसी भी प्रकार का व्यवधान कारित नही करे तथा प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1 ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है, के आदेश दिये जाते है। इसी अनुरूप डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर मुकाम जयपुर व इजलास हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या : 18 / 2025

नेपाल पुत्र कालूराम, जाति माली, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. अरविन्द शर्मा पुत्र रूपनारायण
2. कुन्तल भट्ट पुत्री रूपनारायण
3. ज्योत्सना पुत्री रूपनारायण
4. कैलाश पुत्र माधोलाल
5. शंकरलाल पुत्र माधोलाल
6. गोपाल पुत्र माधोलाल
7. प्रकाश पुत्र हरिनारायण
8. प्रभू पुत्र तेजा
9. पारूल पुत्री अजय
10. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ
11. बाबूलाल पुत्र गणेश
12. मुकेश पुत्र गोकुलनारायण
13. मन्जू शर्मा पत्नी अजय
14. रूपल पुत्री अजय
15. रामधन पुत्र जगन्नाथ
16. लक्ष्मीनारायण पुत्र महादेव प्रसाद
17. शैलेन्द्र शर्मा पुत्र सतीश
18. कल्याण प्रसाद पुत्र गणेश
19. हरिनारायण पुत्र गणेश
20. गुलाब नारायण पुत्र महादेव प्रसाद
21. भंवर लाल पुत्र गणेश

    समस्त निवासीगण ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
22. मन्जू शर्मा पत्नी सुरेश, निवासी 178, गुर्जरो का मोहल्ला, सांगानेर, जिला जयपुर।
23. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय सांगानेर व हाजिरी वकील वादी मिन जानिब मुदई रूबरू मिन

उप-खण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जाता है कि ग्राम मुहाना, पटवार हल्का मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 613 रकबा 0.10 है0 में मौके पर बनी सड़क पर उभयपक्षकारान किसी प्रकार का कोई कब्जा नही करे, ना ही खसरा नम्बर 613 पर कोई अतिक्रमण करे एवं उभयपक्षकारान आने–जाने में आमजन को किसी भी प्रकार का व्यवधान कारित नही करे तथा प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1 ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है, के आदेश दिये जाते है।

बसबब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.02.2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....
उप–खण्ड अधिकारी
ओहदा.....जयपुर (द्वितीय).......

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वहसबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	0 0

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हरदी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)